

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्र.850 / 2014

संस्थित दिनांक-17.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर

जिला-बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

- 
- (1) रामबाबू पिता मोहपतसिंह उम्र 23 वर्ष,  
निवासी वार्ड नं. 2 रौंदाटोला, थाना बैहर, जिला बालाघाट
- (2) मुकेश कुमार पिता मारोतीराव उम्र 38 वर्ष,  
निवासी कम्पाउंडरटोला, थाना बैहर, जिला बालाघाट
- (3) मोहपत पिता मंगलसिंह उम्र 48 वर्ष,  
निवासी रौंदाटोला, थाना बैहर जिला बालाघाट — — — — — आरोपीगण
- 

// निर्णय //

( आज दिनांक-17/09/2014 को घोषित )

निष्कर्ष

अभियुक्तगण की स्वैच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त रामबाबू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 में एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, [146/196](#), 130(3)/177 एवं शेष अभियुक्तगण ने मोटर यान अधिनियम की धारा 5/180, [146/196](#), 50(क)/177 अथवा 50(ख)/177 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, अभियुक्त रामबाबू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत 1,000/-रुपये एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, [146/196](#), 130(3)/177 के अंतर्गत क्रमशः 500/-, 1,000/-, 100/-रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी मुकेश एवं मोहपत को मोटर यान अधिनियम की धारा 5/180, [146/196](#), 50(क)/177 अथवा 50(ख)/177 के अपराध के अंतर्गत प्रत्येक को क्रमशः 500/-, 1,000/-, 100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रत्येक आरोपी को प्रत्येक अपराध के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 7-7 दिन का सादा कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल हीरो होण्डा क्रमांक-एम.पी.50/बी. 2117 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार मुकेश वल्द मारोतीराव निवासी बीजाटोला जिला बालाघाट को प्रदान किया गया है। अतएव जो उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे।

बैहर

दिनांक-17/09/2014

(सिराज अली)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)